रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97 REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 227] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 5, 1997/ज्येष्ठ 15, 1919
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1997/JYAISTHA 15, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1997

सा.का.नि. 307(अ).—अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायतें) विनियमन, 1994 की धारा 186 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) (संशोधन) नियमावली, 1997 कहा जाएगा।

(2) वे 8-9-1995 से लागू हुए माने जाएंगे।

2. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 में नियम 7 में उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) आयोग के अध्यक्ष को 8000/- रु. (नियत) का मासिक वेतन देय होगा और सदस्य को 7300-200-7500-250-8000/- रु. के वेतनमान में मासिक वेतन देय होगा :

परन्तु यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका वेतन इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई सदस्य आयोग में अंशकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे 4000/-प्रतिमाह की एक नियत फीस दी जाएगी।

[फा. सं. यू.-11022/1/94-यू.टी.एल.]

पी. के . जलाली, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8-9-95 के सा.का.नि. 626(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 12-1-96 के सा.का.नि. 28(अ) और 28-5-1996 के सा.का.नि. 228(अ) द्वारा तदोपरान्त संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1997

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The Chairman of the Commission shall be entitled to a monthly pay of rupees Eight thousand (fixed) and member shall be entitled to a monthly pay in the scale of pay of Rs. 7,300-200-7,500-250-8,000/- :

Provided that if the Chairman or any Member of the Commission happens to be a retired Government servant, his pay shall be regulated in accordance with the orders issued by the Government of India in this regard.

Provided further that if a Member is appointed to render part-time service to the Commission, he shall be paid a fixed fee of rupees Four thousands per month.".

[F. No. U-11022/1/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

NOTE :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number G.S.R. 28(E) dated 12-1-96 and G.S.R. 228(E) dated 28-5-96.

रजिस्ट्री सं० डी०एल०-33004/97

REGD. NO. D.L.-33004/97

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-Section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं॰ 227] नई दिल्ली, वृहस्पतिवार, जून 5, 1997/ज्येष्ठ 15, 1919
No. 227] NEW DELHI, THURSDAY, JUNE 5, 1997/JYAISTHA 15, 1919

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 जून, 1997

सा.का.नि. 307(अ).—अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह (पंचायतें) विनियमन, 1994 की धारा 186 की उप-धारा(2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, राष्ट्रपति एतद्द्वारा अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 को और आगे संशोधित करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों को अण्डमान एवं निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) (संशोधन) नियमावली, 1997 कहा जाएगा।

(2) वे 8-9-1995 से लागू हुए माने जाएंगे।

2. अण्डमान और निकोबार द्वीप समूह संघ राज्य क्षेत्र के लिए वित्त आयोग (सेवा शर्तें एवं अन्य विविध प्रावधान) नियमावली, 1995 में नियम 7 में उप-नियम (2) के लिए निम्नलिखित उप-नियम प्रतिस्थापित किया जाएगा, अर्थात् :—

"(2) आयोग के अध्यक्ष को 8000/- रु. (नियत) का मासिक वेतन देय होगा और सदस्य को 7300-200-7500-250-8000/- रु. के वेतनमान में मासिक वेतन देय होगा :

परन्तु यदि आयोग के अध्यक्ष अथवा कोई सदस्य सेवा निवृत्त सरकारी कर्मचारी हैं तो उनका वेतन इस संबंध में भारत सरकार द्वारा जारी किए गए आदेशों के अनुसार विनियमित किया जाएगा।

परन्तु यह भी कि यदि कोई सदस्य आयोग में अंशकालिक सेवा के लिए नियुक्त किया जाता है तो उसे 4000/-प्रतिमाह की एक नियत फीस दी जाएगी।

[फा. सं. यू.-11022/1/94-यू.टी.एल.]

पी. के. जलाली, संयुक्त सचिव

टिप्पणी :—मूल नियम भारत के राजपत्र में दिनांक 8-9-95 के सा.का.नि. 626(अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे और 12-1-96 के सा.का.नि. 28(अ) और 28-5-1996 के सा.का.नि. 228(अ) द्वारा तदोपरान्त संशोधित किए गए थे।

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th June, 1997

G.S.R. 307(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 186 of the Andaman and Nicobar Islands (Panchayats) Regulation, 1994, the President hereby makes the following rules further to amend the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, namely :—

1. (1) These rules may be called the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) (Amendment) Rules, 1997.

(2) They shall be deemed to have come into force with effect from 8-9-1995.

2. In the Finance Commission for the Union territory of the Andaman and Nicobar Islands (Conditions of Service and other Miscellaneous Provisions) Rules, 1995, in rule 7, for sub-rule (2), the following sub-rule shall be substituted, namely :—

"(2) The Chairman of the Commission shall be entitled to a monthly pay of rupees Eight thousand (fixed) and member shall be entitled to a monthly pay in the scale of pay of Rs. 7,300-200-7,500-250-8,000/- :

Provided that if the Chairman or any Member of the Commission happens to be a retired Government servant, his pay shall be regulated in accordance with the orders issued by the Government of India in this regard.

Provided further that if a Member is appointed to render part-time service to the Commission, he shall be paid a fixed fee of rupees Four thousands per month.".

[F. No. U-11022/1/94-UTL]

P. K. JALALI, Jt. Secy.

NOTE :—The principal rules were published in the Gazette of India vide number G.S.R. 626(E) dated 8-9-95 and subsequently amended vide number G.S.R. 28(E) dated 12-1-96 and G.S.R. 228(E) dated 28-5-96.